



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)  
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 10 अप्रैल, 1989

चैत्र 20, 1911 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 718/सत्रह-वि-1-1 (क) 21-1989

लखनऊ, 10 अप्रैल, 1989

#### अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1989 पर दिनांक 8 अप्रैल, 1989 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, सन् 1989 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनाएं इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अधिनियम, 1989

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1989)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 का अग्रतर संशोधन करने के लिए  
अधिनियम

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अधिनियम, 1989  
कहा जायगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा  
नियत करे।

संक्षिप्त नाम और  
प्रारम्भ

उत्तर प्रदेश अधि-  
नियम संख्या 9 सम्  
1961 की धारा 3  
का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 की धारा 3 में, उपधारा (1) में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा दिया जायगा, अर्थात्—  
(क) यदि वह फैक्टरी के स्वामी द्वारा हो तो गन्ने के प्रति निव्वटल मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक ऐसी दर से जो राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचित करे, और

आज्ञा से,  
नारायण दास,  
सचिव

No. 718(2)/XVII-V-I-1(KA)-21-1989

Dated Lucknow, April 10, 1989

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Ganna (Krya-Kar) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1989 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 13 of 1989) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 8, 1989.

**THE UTTAR PRADESH SUGARCANE (PURCHASE TAX)  
(AMENDMENT) ACT, 1989**

(U.P. Act No 13 of 1989)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN  
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Sugarcane (Purchase Tax) Act, 1961

IT IS HEREBY enacted in the Fortieth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sugarcane (Purchase Tax) (Amendment) Act, 1989.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

Amendment of section 3 of U.P. Act no. IX of 1961

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Sugarcane (Purchase Tax) Act, 1961, in sub-section (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

“(a) a factory at such rate not exceeding ten percent of the per quintal price of sugarcane, as the State Government may notify in this behalf, and”

By order,  
NARAYAN DAS,  
Sachiv.